# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में दलहन फसल में मसूर दाल उपज में सर्वप्रमुख है जो कि मौसम आधारित काफी जोखिम भरी फसल है। वैसे तो बिहार में सभी जगह मसूर की खेती होती है लेकिन टाल क्षेत्र फतुहा से लखीसराय तक लगभग 1 लाख 6 हजार हेक्टयर में मसूर की खेती 90 प्रतिशत जमीन पर होती है। जो पूरे साल की एकमात्र फसल है और आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मसूर दाल को सम्मिलित नहीं किया जाना बिहार के किसानों के साथ अन्याय है। बिहार के किसान पूर्व में भी भारत सरकार से मसूर एवं अन्य दलहन फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं।

अत: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 से मसूर के साथ अन्य दलहन फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल करने के लिए सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- नीरज कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-239/2017 - 2437(1) / वि.प.। दिनांक- 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/कृषि विभाग, बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

21/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के 2100 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, परन्तु उक्त विद्यालयों में लाईब्रेरियन का पद सृजित नहीं किया गया है। इसके कारण पुस्तकालय का कार्य एवं पुस्तकों का रख-रखाव नहीं हो रहा है। उक्त उच्च विद्यालयों में काफी अव्यवस्था का आलम है। साथ ही विद्यार्थियों को पुस्तकालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ उच्च विद्यालयों में अंक के आधार पर लाईब्रेरियन की नियुक्ति की गई जिससे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई परन्तु बिहार राज्य के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गये ।

अत: उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में लाईब्रेरियन का पद सृजित कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लाईब्रेरियन की नियुक्ति करने एवं बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत पद सुनिश्चित करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सूरजनंदन प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-240/2017 - 2438(1) / वि.प.। दिनांक- 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/शिक्षा विभाग, बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-**28.11.2017** को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पूर्वी चम्पारण के सदर अस्पताल में वर्ष 2014-15 में दवा खरीद में 4,50,70,345/- रू. की अनियमित निकासी मामले में तत्कालिन सिविल सर्जन डा. मीरा वर्मा सहित 24 लोगों में प्रभारी भंडार पदाधिकारी,तत्कालिन प्रधान लिपिक एवं अन्य लिपिक तथा सिविल सर्जन एवं अधीक्षक कार्यालय के प्रधान लिपिक एवं लेखापाल,रोकड़पाल तथा दवा आपूर्ति करने वालों पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया। परंतु अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

अत: सदर अस्पताल मोतिहारी पूर्वी चम्पारण के तत्कालिन सिविल सर्जन सहित 24 लोगों की गिरफ्तारी कर राशि का गबन करने वालों से राशि की उगाही कर सरकार के कोषागार में जमा करने तथा गिरफ्तारी एवं कुर्की जप्ती नहीं करने वाले आई.ओ. पर अविलम्ब कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सतीश कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-241/2017 -2439(1) / वि.प.। दिनांक- 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-28.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक प्र.4/ख.वि.अधि.-02/2016-6556 दिनांक-15.11.2016 के अनुसार राज्य में रैयत किसानों से धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा 150 क्विंटल तथा वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं अर्थात बटाईदार हैं,(किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से सम्बंधित प्रमाण पत्र) पर अधिकतम 50 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। अर्थात धान खरीद की इकाई व्यक्ति हो गया है। धान की उपज खेतों में होती हैं, इसलिए इकाई व्यक्ति के स्थान पर धनहर खेत होना चाहिये। धान की अधिप्राप्ति राज्य में धनहर खेती के क्षेत्रानुसार प्रति एकड़ धान खरीदना ज्यादा उचित होगा। रैयत किसान,बटाईदारी या खेत के बटाईदारी करने वाले किसान से भी धान की खरीद धनहर खेती के क्षेत्रानुसार होनी चाहिए । इससे बिचौलियों पर अंकुश लगेगा और उपज करने वाले किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।

अत: मैं सरकार से राज्य में धनहर खेती के क्षेत्रानुसार प्रति धान खरीदने पर सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-242/2017 - 2440(1) /वि.प.। दिनांक- 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य-सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ सहकारिता विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-**28.11.2017** को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

21/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009-10 में मैंने अपने विधान पार्षद निधि से गया जिला के विकास कार्य हेतु अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुशंसा किया था। योजनाओं को मार्गदर्शिका के अनुसार अनुशंसा किया गया, लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण अनुशंसित योजनाओं का कार्य आरंभ ही नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 में मैंने पत्रांक- 177/आ./12 दिनांक- 25.07.2012 के द्वारा अनुशंसित योजनाओं के समयावधि में नहीं करने के कारण दूसरे योजनाओं की मांग विभाग द्वारा की गई। पुन: पत्रांक-177 आ./12 दिनांक- 25.07.2012 के बदले अपने पत्रांक- 108/आ./13 दिनांक- 09.01.2013 के द्वारा दूसरे योजनाओं की अनुशंसा की। बावजूद उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पुन: अन्य कई योजनाओं की मांग की गई। पुन: अपने पत्रांक- 127/आ./16 दिनांक- 21.01.2016 द्वारा मैंने 2010-11 की विकास योजना की राशि विमुक्त करते हुए योजनाओं की अनुशंसा की। दुर्भाग्यवश इन योजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया, जो कि गंभीर विभागीय लापरवाही है।

अत: वित्तीय वर्ष 2010-11 की राशि को अभी तक अनुशंसित योजनाओं के मद में खर्च नहीं हो पाने की स्थिति में उक्त राशि का किस मद में समायोजन हो, इसके संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- उपेन्द्र प्रसाद;
स.वि.प.

ज्ञापांक-बि.प.अ.प्र.- 243/2017– 2441 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
( नरेन्द्र प्रसाद सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सिवान जिलान्तर्गत जीरादेई प्रखंड सह अंचल कार्यालय बना है। लेकिन प्रखंड सह अंचल कार्यालय संचालित करने के लिए भवन नहीं है। जबकि जीरादेई में पर्याप्त मात्रा में सरकारी जमीन उपलब्ध है।

अत: सिवान जिला अन्तर्गत जीरादेई प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन निर्माण करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- टुनजी पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 244/2017– 2442 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
( नरेन्द्र प्रसाद सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

**बिहार विधान परिषद्** **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वरनाथ रेणु के पेट का ऑपरेशन 24 मार्च, 1977 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ था। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश नहीं आया। 18 दिनों तक पी.एम.सी.एच. के के.एल.वार्ड में वे बेहोश पड़े रहे। अंतत: 11 अप्रैल, 1977 को उनका निधन हो गया।

उस समय चिकित्सकों ने स्पष्ट नहीं बताया कि उनकी मौत का कारण क्या था। आज भी रहस्य बना हुआ है।

अभी कुछ सप्ताह पहले खबर छपी है कि स्पेनिश भाषा में लिखने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कवि पाब्लो नेरूदा की मौत के 44 साल बाद चीली की सरकार ने उनकी मौत की असलियत जानने के लिए विशेषज्ञों की एक जांच समिति गठित की है। फणीश्वर नाथ रेणु की मौत के मामले में भी यह जरूरी लगता है कि मृत्यु के कारणों का खुलासा हो और उनका मेडिकल बुलेटिन सार्वजनिक किया जाए।

अत: जनहित के इस महत्वपूर्ण मामले में समुचित कार्रवाई हेतु मैं सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामवचन राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 245/2017– 2443 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.11.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 28.11.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

( नरेन्द्र प्रसाद सिंह )
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।